"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्रमांक 3095/डी.-109/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-04-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(तीन) घरेलू बीपीएल कनेक्शन उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो.

   (चार) नि:शुल्क विद्युत उपभोग की विहित सीमा तक पात्र कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता को कृषक जीवन ज्योति योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समान प्रयोजन की किसी योजना के अंतर्गत विक्रय या प्रदाय की गई हो.

   (पांच) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अंतर्गत पात्र इकाई/उद्यमी/विकासकर्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो."

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्रमांक 3095/डी.-109/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2012)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After clause (ii) of proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following shall be inserted, namely :—
"(iii) sold or supplied to the domestic BPL connection consumer.

(iv) sold or supplied to the eligible agriculture irrigation pump connection consumer under Krishak Jivan Jyoti Yojna or any scheme with a similar purpose as the State Government may notify, up to prescribed limit of free electricity consumption.

(v) sold or supplied to the eligible unit/entrepreneur/developer under Special Economic Zone Policy notified by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.